फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय–लैण्डमार्क रेस कॉर्स सर्कल बडोदरा तथा शाखा कार्यालय–आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड 2सी मधुवनी, मधुवन, उदयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री नितिन जोशी।

– प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री लक्ष्मीनारायण पालीवाल पिता श्री नवलराम पालीवाल निवासी जावद, कांकरोली जिला राजसमन्द
2. श्री लोकेश पालीवाल पिता श्री नवलराम पालीवाल निवासी जावद, कांकरोली जिला राजसमन्द
3. श्री अम्बालाल पालीवाल पिता श्री नवलराम पालीवाल निवासी जावद, कांकरोली जिला राजसमन्द
4. श्री गोवर्धन पालीवाल पिता श्री नवलराम पालीवाल निवासी जावद, कांकरोली जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सिक्यूटराईजेशन

पत्रावली संख्या 33/2019

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.09.2019 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड बडोदरा व उदयपुर ने दिनांकः 31.07.2019 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत बैंक है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये ऋण करार संख्या RBKR100001859616 के द्वारा 2,00,000/–रूपयें का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति– श्री लक्ष्मीनारायण पालीवाल पिता श्री नवलराम पालीवाल के नाम भूमि एवं निर्माण जिसका क्षेत्रफल 693 वर्गफीट है जो कि जावद तहसील व जिला राजसमन्द मे स्थित है। को प्रार्थी बैंक के पास रहन किया । अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 30.07.2011 ऋण के भुगतान मे व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन0पी0ए0 घोषित कर दिया है। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या RBKR100001859616 मे बकाया रूपये 1,37,490/– अक्षरे एक लाख सैतीस हजार चार सौ नब्बे मात्र बकाया रकम व ब्याज दिनांक 29.05.2013 तक शेष व देय निकलते है की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 29.05.2013 को एक नोटिस भी जरिये रजिर्स्टड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्राथीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किये जो कि वापस लौट आये। अतः सरफेसी एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत दो अखबारों मे छाया कराया जाकर अप्रार्थीगण को तामिल करवाये गये है। परन्तु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया गया है तथा धारा 13(2) नोटिस दिनांकित 29.05.2013 उनकी रजिस्ट्री की रसीदे व अखबारों की फोटो प्रति संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो सम्पत्ति बंधक रखी है। उसका प्रार्थी बैंक में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार हैः– श्री लक्ष्मीनारायण पालीवाल पिता श्री नवलराम पालीवाल के नाम भूमि एवं निर्माण जिसका क्षेत्रफल 693 वर्गफीट है जो कि जावद तहसील व जिला राजसमन्द मे स्थित है जिसकी चारो सीमाए निम्न है :–उत्तर में गली, दक्षिण में श्री मन्नालाल पालीवाल का मकान, पूर्व में रोड, पश्चिम में श्री श्याम सुन्दर पालीवाल का मकान। उक्त सम्पत्ति	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

का बक्षिस पत्र श्री लक्ष्मीनारायण पालीवाल पिता श्री नवलराम पालीवाल के पक्ष में दिनांक 02.05.1991 को उप पंजीयक राजसमन्द द्वारा जारी किया गया है। बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व संबंध दस्तावेजात की फोटो प्रति संलग्न है। प्रार्थी बैंक उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उक्त चरण संख्या 05 मे वर्णित सिक्यूरिटी बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। शपथ–पत्र मे वर्णितानुसार इस सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नहीं है।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी एवं अखबार में दिनांकः 01.07.2013 को नोटिस का प्रकाशन करवाया गया जिसकी प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो सम्पत्ति बंधक रखी है। उसका प्रार्थी बैंक में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार हैः– श्री लक्ष्मीनारायण पालीवाल पिता श्री नवलराम पालीवाल के नाम भूमि एवं निर्माण जिसका क्षेत्रफल 693 वर्गफीट है जो कि जावद तहसील व जिला राजसमन्द मे स्थित है जिसकी चारो सीमाए निम्न है :–उत्तर में गली, दक्षिण में श्री मन्नालाल पालीवाल का मकान, पूर्व में रोड, पश्चिम में श्री श्याम सुन्दर पालीवाल का मकान।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय–बडोदरा तथा शाखा कार्यालय–आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड, उदयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी आई.सी.आई.सी. आई बैंक लिमिटेड,बडोदरा व उदयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)